



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

विभाग खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष नं. : 0141-2227884
ई-मेल : rajpr.scp@rajasthan.gov.in, rajpr.xento@rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ 4 (415) परायि / FFC & SPC-V / 2016-17/ 865 जयपुर दिनांक : 17/4/2017

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिवद-समस्ता।

विषय :- एफएफसी एवं एसएफसी-पंचम योजनान्तर्गत घारदीवारी निर्माण बाबत।

महोदय,

14वां वित्त आयोग-पंचम के दिशा-निर्देश क्रमांक 1990-22 दिनांक 29.11.2016 में पार्कों, खेल मैदानों, तथा इमशानों / कब्रिस्तानों के रखरखाव का कार्य अनुमत है। राज्य वित्त आयोग-पंचम के दिशा-निर्देश क्रमांक 19793-95 दिनांक 22.01.2016 में इमशानों / कब्रिस्तानों का रखरखाव, ग्राम पंचायत / पंचायत समिति भवनों के रख-रखाव का प्रावधान है।

इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि योजना के प्रावधानों के अनुसार अनुमत कार्यों में रखरखाव में इनकी घारदीवारी का निर्माण भी सुरक्षा की दृष्टि से कराया जा सकेगा।

यह सकाम स्तार से अनुमोदित है।

महोदय

३५

(मुकेश माहेश्वरी)
अधीक्षण अभियन्ता

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- विशिष्ट सहायक, भा. मंत्री महोदय, ग्रा.वि.पं.राज, जयपुर।
- निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रा.वि.पं.राज, जयपुर।
- प्रधान महालेखाकार, (सामन्य एवं सामाजिक क्षेत्र, लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
- निदेशक, स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, जयपुर।
- वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज, जयपुर।
- अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिवद समस्त।
- विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, पंचायती राज को विभगीय वेब साईट पर अपलोड करने हैं।

३६
अधीक्षण अभियन्ता